

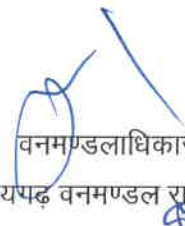
चेकलिस्ट क्र.-22
कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत खरसिया व रायगढ़ वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन रकबा 0.7970, संरक्षित वन का रकबा 0.1517 हे. तथा राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 2.6271 हे. इस प्रकार कुल रकबा 3.5758 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकरण माइनिंग से संबंधित नहीं है अतः इस प्रकरण में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।



(एम.वी. अरविन्द)
एम.वी. अरविन्द
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
M.V. ARVIND
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
उप महाप्रबंधक (निर्माण)

Deputy General Manager (Construction)
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)
G. Ltd. Raipur



वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़